विमानन विभाग
मंत्रालय

::अधिसूचना::

भोपाल,दिनांक 28–7–2003

क्रमांकःएफ 4–1/2003/पैंतालीस,राज्य शासन प्रदेश के उन आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों जिन्होंने राज्य शासन की उड्डयन छात्रवृत्तियों के विरूद्व कामर्शियल लायसेंस प्राप्त कर लिया है को,प्रदान किये गये उड्डयन प्रशिक्षण को रोजगार मूलक बनाये जाने हेतु उन्हें दो इंजिन विमान पर,प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु निम्न नियम बनाता हैः–

नाम एवं उद्देश्यः–

यह नियम मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य शासन की उड्डयन छात्रवृत्तियों को रोजगार मूलक बनाया जाना तथा दो इंजिन वाले विमान पर प्रशिक्षण नियम कहलायेंगे एवं जारी होने की तिथि से प्रभावशील होंगे ।

शैक्षणिक योग्यताः–

1. आवेदक के पास महानिदेशक,नागर विमानन,भारत सरकार द्वारा जारी कामर्शियल पायलट लायसेंस होना अनिवार्य है ।
2. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है ।

आयु सीमाः

प्रशिक्षण हेतु आवेदन के समय,आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होना चाहिये ।

छात्रवृत्ति की परिसीमाः–

कामर्शियल पायलअ लायसेंस के बाद आवेदक को दो इंजिन वाले विमान पर कुल 15 घंटे का उड़ान प्रशिक्षण तथा 10 घंटे का सेम्युलेटर प्रशिक्षण मान्य होगा ।

छात्रवृत्ति की संख्या :–

छात्रवृत्तियों की संख्या कुल 6 होगी । जिसमें 2 अनुसूचित जनजाति,2 अनुसूचित जाति एवं 2 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये प्रतिवर्ष होगी । प्रति प्रशिक्षणार्थी व्यय लगभग रूपये 3.35 लाख शासन द्वारा वहन किया जावेगा ।

<u>प्रशिक्षणार्थियों की जिम्मेदारियॉः</u>

प्रशिक्षण पर राज्य शासन द्वारा स्वीकृति प्रति छात्रवृत्ति राशि रूपये 3.25 लाख से,किन्हीं कारणों से अधिक व्यय होता है तो वह व्यय प्रशिक्षणार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाना होगा ।

<u>चयन प्रक्रियाः</u>

दो इंजिन वाले विमान पर प्रशिक्षण हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिये राज्य शासन द्वारा गठित निम्न समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जावेगाः

1.	संचालक विमानन,मध्यप्रदेश	अध्यक्ष
2.	सीनियर पायलट(विमान)	सदस्य / सचिव
3.	मानसेवी सचिव,म.प्र.फलाईंग क्लब,इंदौर	सदस्य
4.	नियंत्रक,उड़ान भोपाल महानिदेशक नागर विमानन भारत शासन के प्रतिनिधि	सदस्य

<u>चयन सूचीः</u>

चयन सूची में अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थी(छात्र / छात्रायें)के चयनित उम्मीदवारों की सूची के साथ–साथ एक प्रतीक्षा सूची भी बनाई जायेगी । प्रतीक्षा सूची में प्रत्येक वर्ग का उम्मीदवार होगा ।

<u>राज्य शासन का अनुमोदनः–</u>

चयन समिति द्वारा चयनित उम्मीदवारों की सूची राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत जारी की जायेगी ।

<u>शारीरिक उपयुक्तताः</u>

चयनित उम्मीदवार को भारतीय विमानन नियम के अन्तर्गत चिकित्सीय जॉच,चिकित्साधिकारी से कराई जाना होगी,जिसका व्यय उम्मीदवार द्वारा वहन किया जावेगा ।

<u>प्रशिक्षण की अवधिः–</u>

प्रशिक्षण की अवधि केवल एक वर्ष के लिये होगी,जिसे राज्य शासन की सहमति से छः माह के लिये बढ़ाया जा सकेगा ।

<u>छात्रवृत्ति के लिये भुगतान की प्रक्रियाः–</u>

छात्रवृत्ति पर होने वाला व्यय राज्य शासन द्वारा सीधे प्रशिक्षण संस्था को अग्रिम / देयक के आधार पर भुगतान किया जावेगा । धनराशि के अग्रिम भुगतान होने पर व्यय के देयक संबंधित संस्था द्वारा शासन को भुगतान समायोजन के लिये प्रस्तुत किया जायेगा

प्रशिक्षण संस्था की सदस्यताः

राज्य शासन की छात्रवृत्ति के विरूद्व,प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था के नियमों के अंतर्गत,यदि प्रशिक्षणार्थी को उक्त संस्था का सदस्य होना आवश्यक होने पर चयनित उम्मीदवार को उक्त प्रशिक्षण संस्था का सदस्य होना अनिवार्य होगा,और विभिन्न प्रकार की देय फीस संबंधित द्वारा देय होगी तथा उक्त संस्था के नियमों का पालन भी संबंधित को करना होगा ।

छात्रवृत्ति का व्यपवर्तनः–

किसी भी उम्मीदवार द्वारा बीच में प्रशिक्षण छोड़ने पर या छात्रवृत्ति समाप्त किये जाने पर प्रशिक्षण पर हुये तब तक के व्यय संबंधित प्रशिक्षणार्थी से वसूली योग्य होंगे ।

दुर्घटना के लिये शासन की जिम्मेदारी नहीं होगीः–

राज्य शासन किसी भी रूप में प्रशिक्षण,या अन्य किसी भी कारण से प्रशिक्षणार्थी के दुर्घटनाग्रस्त होने/ हानि के लिये जिम्मेदार नहीं होगा । यह हानि संबंधित प्रशिक्षणार्थी की जवाबदारी होगी ।

अभ्यर्थी द्वारा करार का निष्पादनः

आवेदक,जिसे छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है,को उपरोक्त शर्तों के अधीन,एक करार (सुरक्षा निधि) एवं दो व्यक्तियों की जमानत प्रस्तुत करना होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(आर.एन.बैरवा)
सचिव,म.प्र.शासन
विमानन विभाग